न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 156/2022 **निर्णय दिनांकः– 23-2-26**
(जीसीएमएस संख्या 2022/311)

1. कालूराम
2. प्रकाश
3. जाना
4. गीतू
5. कलावती

पिसरान स्व. सुरजाराम पुत्र श्री बींजाराम जाति नायक निवासी करणीसर तहसील लूणकरणसर हाल–4 के. डब्ल्यु.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री रहमान खां जाति मुसलमान निवासी चक 4 के. डब्ल्यु.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–07–2011
कमांक 4919 उपखण्ड़ अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 13–07–2011 कमाक 4919 जिसके द्वारा अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का आवंटन किश्तो के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस के पिता सुरजाराम पुत्र बींजाराम को उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 के.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 235/61 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। जिसका कब्जा काश्त सुरजाराम द्वारा प्राप्त कर लिया गया। पासबुक भी अपीलांटस के पिता सुरजाराम ने प्राप्त कर ली। अपीलांट के पिता द्वारा दिनांक 15–03–1999 तक किश्ते भी जमा करवाई। बाद मे अपीलाटस के पिता बीमार रहने लगे जिस कारण समय पर किश्ते जमा नही करवाई गई। सुरजाराम का देहान्त दिनांक 27–06–2003 को हो गया। अपीलाटस सुरजाराम के जायज वारिसान है। पानी की पर्ची अपीलांट के नाम से बनी हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पिता का आवंटन दिनांक 13–07–2011 को किश्तो के अभाव में खारिज किया गया है जबकि अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 27–06–2003 को ही हो गया था इसलिए अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कोई पत्रावली मुर्तिब ना करके केवल सरसरी तौर पर पारित किया गया है क्योकि अपीलांट की आवंटन पत्रावली में कही पर भी खारिज करने का कोई कागज नही है। जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जीपूर्वक रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानो को नजर अंदाज करके आदेश पारित किया गया है।

आवंटन नियमो में किश्तो के अभाव में खारिज करने का कोई प्रावधान नही है बकाया किश्तो पर ब्याज ही लिया जा सकता है आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। यदि खारिज किया जाता है तो पक्षकार को सबूत व सुनवाई का अवसर देकर ही खारिज किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि की तमाम किश्ते जमा करवाने हेतु आज भी तैयार है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि शिवसिंह को दिनांक 16–11–2021 को आवंटित हुई तथा दिनांक 12–04–2022 को पट्टा जारी हुआ। शिवसिंह से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 22–10–2022 को कय की गई है जबकि उक्त भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा ही दिनांक 11–10–2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन भी गलत हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–09–2011 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021(2) पेज 1027, आरआरडी 1994 पेज 710 पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596, आरआरडी 1994 पेज 291 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील पूगल के चक 4 के.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 235/61 की 25 बीघा भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि दिनांक 16–11–2021 को शिवसिंह को आवंटित हुई तब वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही था। वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 11–10–2022 को स्थगन जारी हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि शिवसिंह से दिनांक 01–08–2022 को खरीद की है। स्थगन आदेश प्रसारित होने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी थी। अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आया है। अपीलांट द्वारा शिवसिंह के आवंटन को कही चुनौती नही दी है। वादग्रस्त भूमि शुद्ध रूप से रकबाराज होने, आवंटन योग्य होने पर ही आवंटित की गई थी। मौक पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खातेदार है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

परेशान करने की गर्ज से अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटनं किश्तो के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैु। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त आराजी चक चक 4 के.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 235/61 की 25 बीघा भूमि को आवंटन करवाने बाबत अपीलांट के पिता सुरजाराम पुत्र बीजाराम नायक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुरजाराम को चक 4 के.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 235/61 के किला नम्बर 17,18 21 ता 24 कुल 6 बीघा कमाण्ड व 1 ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16, 19, 20, 25 कुल 19 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की किश्ते जमा नही करवाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट का उक्त आवंटन किश्तो के अभाव में खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने हस्तगत अपील पेश की है।

प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि–

ए– प्रश्नगत आराजी जो कि अपीलांट के पिता सुरजाराम को आवंटित हुई, दिनांक 13–07–2011 में किश्तों के अभाव में यह आवंटन खारिज कर दिया गया।

बी– दिनांक 16–11–2021 को अपीलाधीन आराजी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शिवसिंह पुत्र रावतसिंह को आवंटित की गई। इस दिन यह भूमि अराजीराज दर्ज थी।

सी– जिस दिन (दिनांक 16–11–2021) प्रश्नगत भूमि शिवसिंह को आवंटित की गई उस दिन तक अपीलांट द्वारा आवंटन खारिजी आदेश को कही चुनौती नही दी गई। अतः अपीलाधीन भूमि पर कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही था।

डी– अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक शिवसिंह के आवंटन आदेश दिनांक 16–11–2021 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है।

ई– शिवसिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्राप्त कर ली गई तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा यह भूमि शिवसिंह से खरीद की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रश्नगत भूमि का जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड सद्भाविक केता है।

उपर्युक्त तथ्यो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की राय से राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज प्रश्नगत भूमि का आवंटन शिवसिंह को किया गया। शिवसिंह द्वारा इस भूमि की खातेदारी ली जा चुकी है। अपीलांट न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के समक्ष क्लीन हेण्ड से भी उपस्थित नही हुए। अपीलांट द्वारा इस भूमि के आवंटी शिवसिंह तथा केता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिना पक्षकार बनाए हस्तगत अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा जब तक शिवसिंह के आवंटन व खातेदारी को चुनौती नही दी जाती है और जब तक शिवसिंह का आवंटन/खातेदारी बहाल/अस्तित्व में है, तब तक अपीलांट को इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है।

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 23-2-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर